Reg/GR- 303/2015 T .R.- 1679/2019

14. 02. 2020 आत्म समर्पित अभियुक्तगण 1. हरेराम चौधरी 2. नवीन चौधरी एवं 3. पवन देवी की ओर से नवीन अधिकार पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायलय में दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 325, 448, 504/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया जो सभी जमानतीय प्रकृति के है। संज्ञान के बाद इनलोगो की प्रथम उपस्थिति है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किये है। प्रार्थीगण अपने सक्षम जमानदारो द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षो को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 325, 448, 504/34 के अतर्गत सज्ञान लिया गया जो सभी जमानतीय प्रकृति के है। संज्ञान के बाद इनलोगो की प्रथम उपस्थिति है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किये है। अतएव इनके सक्षम जमानतदारो द्वारा 5,000 ×2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओ द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

प्र0न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी

14. 02. 2020 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्तगण के जमानतदारो द्वारा सत्यापित बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

प्र0न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी

Scanned with CamScanner